पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

139

पुनरीक्षण क्रमांकः /2015 निगरानी 2009-II-15

पार्वती पत्नी आनंद राठौर, निवासी–सामतपुर,

तहसील व जिला अनूपरु (म.प्र.)

––आवेदिका

विरूद्ध

1. चरण दास पिता स्वामीदीन राठौर,
2. रामदास पिता स्वामीदीन राठौर,
3. गनपत पिता स्वामीदीन राठौर,
4. कल्याणदास पिता स्वामीदीन राठौर,
5. रामविशाल पिता स्वामीदीन राठौर,
6. रामरति पत्नी महेश राठौर
7. चमरू पिता गयादीन राठौर
8. सत्यनारायण पिता माधव राठौर
9. रामभजन पुत्र बाबादीन राठौर
10. महेश पुत्र रजबा राठौर
11. रामवतार पुत्र हरदीन राठौर
12. प्रदीप पुत्र स्व. बाबादीन राठौर
13. नंदलाल पुत्र स्व. बाबादीन राठौर

निवासीगण–सामतपुर, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

14. रामकुमार राठौर मां बेसहनी बाई, निवासी–सामतपुर, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
15. गोपाल राठौर मां बेसहनी बाई, निवासी–सीतापुर, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
16. बतीबाई पुत्री स्व. बाबादीन राठौर, निवासी–हर्रे तहसील व जिला अनूपपुर, (म.प्र.)
17. नन्ही बाई पुत्री स्व.बाबदीन राठौर, निवासी–कोलमी, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

–––––अनावेदकगण

श्री विनोद भार्गव एडवो. द्वारा आज दि. 30-6-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 30-6-15

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर दिनांक 30-6-2015

rd-2.d./sunil

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2009–दो/2015 जिला–अनुपपूर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्रीमती तृप्ती अग्रवाल उपस्थित । उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये। 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 118/निग0/20131–14 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा)की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई 3/ मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमें तहसीलदार अनूपपुर के द्वारा खसरा नंबर 307/2 रकबा 0.274 है0 का भूमि का निगरानीकर्ता के पक्ष में दिनांक 05.02.2005 को नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई। शेष भूमिस्वामियों का नक्शा तरमीम नहीं किया गया । जानकारी होने पर अनावेदकगणों द्वारा तहसीलदार अनूपपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत किया । अपर कलेक्टर अनूपपुर ने निगरानी समयावधि में मानते हुये प्रकरण अंतिम सुनवाई के लिये नियत किया । प्रश्नाधीन भूमि के कई भूमिस्वानी है । तहसीलदार अनूपपुर के द्वारा अकेले निगरानीकर्ता के पक्ष नक्शा तरमीम किया जाना विधि के विरूद्ध है । तहसीलदार को चाहिये था कि सभी भूमिस्वामियों की उपस्थिति में कब्जे को ध्यान में रखते हुये विधि अनुसार	

नक्शा तरमीम की कार्यवाही किया जाना चाहिये था । अपर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा निगरानी को समयावधि में मानकर कोई त्रुटि नहीं की है । प्रथम दृष्टया ही तहसीलदार अनूपपुर का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । आयुक्त शहडोल द्वारा भी तहसीलदार अनुपपूर का आदेश त्रुटिपूर्ण मानते हुये निरस्त किया है तथा तहसीलदार अनुपपूर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि तहसील न्यायालय प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 307 के सभी बटांकों के भूमिस्वामियों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधि अनुकूल नक्शा तरमीम की कार्यवाही करें।

4/ अतएव आयुक्त शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2015 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य